रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1976/ज्येष्ठ 29, 1898

No. 206] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1976/JYAISTHA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

CORRIGENDUM

CENRTAL EXCISES

New Delhi, the 19th June 1976

G.S.R. 413(E).—In the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 152/76-Central Excises, dated the 1st May, 1976, published as G.S.R. 316(E) at page 1179 in Part II—Section 3—Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary, *for*— "No. 113/68-Central Excises, dated the 11th May, 1968", *read*— "No. 171/69-Central Excises, dated the 21st June, 1969".

[No. 203/76-CE]

P. N. MALHOTRA, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 19 जून, 1976

सा० का० नि० 414 (अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3 उपखंड (i) में पृष्ठ 1180 पर सा० का० नि० 316 (अ) के रूप में प्रकाशित भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 152/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मई, 1976 में,

"सं० 113/68—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 11 मई, 1968" के स्थान पर "सं० 171/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जून 1969" पढ़िए।

[सं० 203/76-के०उ०शु०]

पी० एन० मल्होत्रा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976